जिला पंचायत, अलीगढ़
ई–निविदा सूचना

जिला पंचायतों, के वर्ष 2026–27 में समस्त पंजीकृत ठेकेदारों एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद निर्माण कार्य नियमावली 1984 की धारा–18 में संशोधन विषयक अधिसूचना संख्या–1425/33–2– 2020–60जी/2000 दिनांक 14 जुलाई, 2020 के अनुपालन में राज्य सरकार के सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, अलीगढ़ द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत श्री संदीप सिंह, मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0/ मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र अतरौली की विधायक निधि कोटे की धनराशि से प्रस्तावित निम्नलिखित निर्माण/विकास कार्यो को कराया जाना है। निम्न कार्यो की ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर दि0 14.05.2026 को समय अपरान्ह 11:00 बजे से दिनांक 21.05.2026 को समय 06:00 बजे तक डाउनलोड/ अपलोड/सबमिट /सम्पूर्ण विवरण देखा व पढ़ा जा सकता है जो दिनांक 22.05.2026 को 11:00 बजे प्राप्त आनलाइन बिड की तकनीकी बिड निविदा समिति के समक्ष प्रत्येक कार्यालय अवधि में खोली जायेगी। तकनीकी बिड वैध होने पर वित्तीय बिड खोला जायेगा। निविदा शुल्क जिला पंचायत द्वारा संचालित केनरा बैक जिला पंचायत परिसर, अलीगढ़ में जिला निधि के खाता संख्या – **86202200000020, IFSC CODE – CNRB0018620, MICR 202015023** आनलाइन भुगतान करना होगा तथा निविदा शुल्क जमा करने सम्बन्धी ट्रान्जेक्शन नंम्बर/यू0टी0आर0 नम्बर स्कैन कर अपलोड करना होगा। अन्य किसी माध्यम से निविदा शुल्क मान्य नही होगा। प्रत्येक कार्य की निविदा के साथ पृथक–पृथक 2 प्रतिशत धरोहर राशि जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अलीगढ़ के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/ एन0एस0सी0 के रूप में बन्धक कराकर जिनकी स्केन प्रतियॉं निविदा के साथ अपलोड/सबमिट करें एवं समस्त प्रमाण पत्रों के साथ पंजीकरण/नवीनीकरण का नवीनतम प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख/निविदा शुल्क/अग्रिम धरोहर धनराशि की मूल प्रति व्यक्तिगत रूप से कार्यालय, जिला पंचायत, अलीगढ़ में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निविदा सम्बन्धी अन्य शर्तो एवं अभिलेखों की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय एवं एन0आई0सी0 वेवसाइट www.aligarh.nic.in पर देखी जा सकती है। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	परियोजना का नाम	ब्लाक	लम्बाई मी0 में	अनुमानित लागत (GST सहित)	निविदा प्रपत्र का मूल्य + जी0एस0टी0 सहित		योग (6+7)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
					निविदा प्रपत्र का मूल्य	जी0एस0टी0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	विधायक निधि								
1	ब्लॉक गंगीरी के ग्राम–राजमऊ में चामुण्डा मन्दिर से लेकर अखिलेश के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	गंगीरी	100	783000	783	141	924	15666	3 माह
2	ब्लॉक अतरौली के ग्राम–मोहसनपुर में भगवान दास के मन्दिर से पंचायत घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	अतरौली	267	2499000	2499	450	2949	49988	3 माह
3	ब्लॉक अतरौली के ग्राम–पनिहारा शेखूपुर में नरेश सिंह के घेर से के0पी0 सिंह जिला पंचायत के घर तक नाली/सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	अतरौली	79	764000	764	138	902	15285	3 माह
4	ब्लॉक अतरौली के ग्राम–मढ़ौली में अंकल फार्म हाउस के निकट से होली चौक तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	अतरौली	250	1857000	1857	334	2192	37148	3 माह
5	ब्लॉक अतरौली के ग्राम–सहनौल में ठा0 चरनसिंह के घर से अमित राघव के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	अतरौली	250	1677000	1677	302	1979	33540	3 माह

6	ब्लॉक बिजौली के ग्राम–भमौरी खुर्द में बनारसी सिंह की दुकान से किताब सिंह की दुकान तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	बिजौली	172	2131000	**2131**	384	2515	42620	3 माह
7	ब्लॉक अतरौली के ग्राम–जामुना में जगदीश चन्द के घर से शंकरलाल के मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	अतरौली	247	1866000	**1867**	336	2203	37334	3 माह
8	ब्लॉक अतरौली के ग्राम–बहरावद में अनिल बघेल के शिव मन्दिर से साहब सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	अतरौली	185	2188000	**2189**	394	2583	43778	3 माह
9	ब्लॉक अतरौली के ग्राम–ओरैनी दलपतपुर में सत्यपाल के घर से छर्रा रोड तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	अतरौली	175	1250000	**1251**	225	1476	25012	3 माह
10	ब्लॉक अतरौली के ग्राम खेड़िया रफातपुर में गोकिल सिंह के मन्दिर से प्राइवेट इण्टर कालेज तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	अतरौली	310	2498000	**2498**	450	2948	49961	3 माह
11	ब्लॉक अतरौली के ग्राम मीरगढ़ी में राजकुमार के घर से रघुवर दयाल के घर तक इण्टरलॉकिंग सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	अतरौली	235	1690000	**1691**	304	1995	33820	3 माह
12	ब्लॉक अतरौली के ग्राम हैवतपुर में श्री गिरवर सिंह के घेर से गनियावली मार्ग तक नाली निर्माण कार्य।	अतरौली	355	1680000	**1680**	302	1983	33607	3 माह
13	ब्लॉक अतरौली के ग्राम शेखूपुर में एक बरातघर का निर्माण कार्य।	अतरौली	1 Nos	2488000	**2488**	448	2936	49763	6 माह
14	ब्लॉक अतरौली के ग्राम रायपुर मुज्जफता में एक बरातघर का निर्माण कार्य।	अतरौली	1 Nos	2499000	**2499**	450	2949	49983	6 माह
15	ब्लॉक अतरौली के ग्राम कंदौली में एक बरातघर का निर्माण कार्य।	अतरौली	1 Nos	2492000	**2493**	449	2942	49860	6 माह
16	ब्लॉक गंगीरी के ग्राम टीकरी मुकेश के घर से राजेश बाल्मीकि के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	गंगीरी	94	730000	**730**	131	862	14602	3 माह
17	ब्लॉक अतरौली के ग्राम गनियावली में कमल किशोर के घर से जमुना प्रसाद शर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	अतरौली	100	778000	**778**	140	918	15562	3 माह
18	ब्लॉक बिजौली के ग्राम समसपुर में मजीद के घर से पीपली तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	बिजौली	200	1740000	**1741**	313	2054	34811	3 माह

19	ब्लॉक गंगीरी के ग्राम पिपलोई में विपिन पाठक के घर से रामचन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	गंगीरी	330	1882000	**1883**	339	2222	37656	3 माह
20	ब्लॉक बिजौली के रायपुर खास में चाईराम के घर से नेपाल धोबी के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	बिजौली	150	714000	**715**	129	843	14292	3 माह
21	ब्लॉक अतरौली के ग्राम–महका में मुख्य मार्ग पर गजराज सिंह के प्लाट से मन्दिर तक मार्ग के अवशेष भाग पर इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	अतरौली	30	216000	**500**	90	590	4339	3 माह
22	ग्राम महेरा में स्थित उडिया बाबा आश्रम परिसर के (चारदीवारी) बाउण्ड्री एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	अतरौली	100	1066000	**1067**	192	1259	21339	3 माह
23	ब्लॉक बिजौली के ग्राम बढेसरा में तिलक सिंह कश्यप के घर से सुभाष सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	बिजौली	225	1921000	**1921**	346	2267	38423	3 माह
24	ब्लॉक अतरौली के ग्राम रायपुर मुजफ्ता में इण्टर कालिज के बाउण्ड्री से होते हुए मलखान सिंह के खेत से सहारे से होकर दरोगाजी के खेत के पास पोखर तक नाली निर्माण कार्य।	अतरौली	400	2499000	**2499**	450	2949	49988	3 माह
25	ब्लॉक बिजौली के ग्राम माढपुर में एक बरातघर का निर्माण कार्य।	बिजौली	1 Nos	2483000	**2484**	447	2931	49671	6 माह
26	ब्लॉक अतरौली के ग्राम काजिमाबाद में एक बरातघर का निर्माण कार्य।	अतरौली	1 Nos	2483000	**2484**	447	2931	49678	6 माह
27	ब्लॉक अतरौली के ग्राम उत्तमगढ़ी में एक बरातघर का निर्माण कार्य।	अतरौली	1 Nos	2498000	**2499**	450	2948	49973	6 माह
28	ग्राम नगला मछरिया, ग्राम पंचायत–बोनई तहसील अतरौली जनपद अलीगढ में होली पूजन स्थान से जाहरवीर बाबा के मन्दिर तक मार्ग पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	गंगीरी	180	1196000	**1197**	215	1412	23934	3 माह

नोट– निविदादातों को निविदा के साथ वांछित पठनीय अभिलेख स्कैन कर ऑनलाइन ई–टेण्डर पोर्टल www.etender.up.nic.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा जिसके आधार पर निविदा का तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा।

नियम व शर्ते निम्नवत हैं :–

1. ई–निविदा के साथ समस्त ठेकेदारों को पंजीयन प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन,पैन कार्ड एवं प्रत्येक निविदा पत्र के साथ निर्माण कार्य की लागत पृथक–पृथक निर्धारित 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत–अलीगढ के पदनाम से बन्धक हो की मूलप्रति सीलबन्द प्रत्येक टैक्नीकल निविदा के साथ पृथक–पृथक संलग्न करनी होगी। ई–निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि अमान्य होगी।
2. निविदा के साथ रू0.100/– के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र (प्रपत्र–टी–6) एवं रिलेशनशिप सम्बन्धी शपथ–पत्र रू010/– के स्टाम्प पेपर पर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक निविदादाता द्वारा सीलबन्द निविदा के साथ रू0100/– के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू01/– का रसीदी टिकिट लगाकर हस्ताक्षर सहित निविदा की वैधता 04 माह तक बनाये रखें की घोषणा करनी होगी।
3. शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0–02 दिनांक 08.जून, 2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक Below पर 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक Below पर एक प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉर्मेन्स गारन्टी ली जायेगी।

अतिरिक्त राशि जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

4. निविदा प्रपत्रों में यदि कोई प्रपत्र छायाप्रति हो, तो उसको स्वहस्ताक्षरित होना आवश्यक होगा।

5. पंजीकृत ठेकेदारों को ठेका देने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदत्त कार्य का ठेका नोटिस निर्गत कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

6. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। एक कार्य पर एक निविदादाता द्वारा एक ही निविदा मान्य होगी। अन्यथा की स्थिति में निविदादाता को उस निविदा के लिये अयोग्य माना जायेगा।

7. निविदा नियमानुसार स्वीकार उपरान्त एक सप्ताह के भीतर ठेकेदार को निर्धारित स्टाम्प पेपर/जमानत धनराशि के साथ अनुबन्ध कर समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा। अन्यथा निविदा/कार्य स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

8. ठेकेदार की विफलता के कारण ठेका मध्य अवधि में निरस्त किया जाता है तो उस परियोजना को अन्य ठेकेदार/एजेन्सी से पूर्ण कराने में होने वाले अतिरिक्त व्यय का प्रथम ठेकेदार की जमानत, स्थाई जमानत या अन्य देयकों से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

9. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व व करने के बाद तथा समय-समय पर कार्य प्रगति के मध्य स्थल की फोटोग्राफी सम्बन्धित अवर अभियन्ता के माध्यम से कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा

10. निर्धारित समयान्तर्गत परियोजनाएं पूर्ण न कर पाने पर विलम्ब शुल्क प्राक्कलित धनराशि की न्यूनतम एक प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक या सक्षम अधिकारी जो भी नियत करें प्रभावी होगा।

11. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व श्रम विभाग में कार्य/श्रमिकों एवं जिला पंचायत का पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

12. शासनादेश संख्या-305/33-सेल/2019 दिनांक 26 फरवरी, 2019 के अनुपालन में सभी कार्यों की डिफेक्ट लायबिल्टी अन्तिम भुगतान के दिनांक से 02 वर्ष बाद तक रहेगी।

13. शासनादेश संख्या-2215/33-सेल/2019 दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. समय-समय पर जारी शासनादेशों/निर्देशों/मा0उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

15. ठेकेदारों को जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन करना होगा।

16. सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के समय यदि ठेकेदार द्वारा कराये जा रहे कार्य की गुणवत्ता/कार्य में कोई कमी पायी जाती है तो उसकी कटौती ठेकेदार के बिल से की जायेगी।

17. अनुबन्ध/कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष ही की जायेगी।

18. ठेकेदार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करायेंगे, अन्यथा किसी भी कार्यवाही के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। जो ठेकेदार को मान्य होगी।

19. अन्य विभाग में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने पर यदि निविदा न्यूनतम होने के फलस्वरूप स्वीकार होती है तो अनुबन्ध से पूर्व जिला पंचायत, अलीगढ़ में पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करानी होगी अन्यथा की स्थिति में 07 दिवस के उपरान्त निविदादाता की निविदा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

20. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री परीक्षण में गुणवत्ता सन्तोषजनक पाये जाने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

21. कार्यस्थल पर दुर्घटना से सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी, दुर्घटना की स्थिति में नियमानुसार मुआवजा इत्यादि का उत्तर-दायित्व फर्म/ठेकेदार का होगा, इस सम्बन्ध में विभाग से कोई क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

22. निविदा की वित्तीय बिड स्वीकृति होने की सूचना मोबाइल पर प्राप्त होते ही एक सप्ताह की अवधि में कार्य के अनुबन्ध निष्पादन हेतु अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराना होगा अनिवार्य होगा। इसके लिए पृथक से काई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

23. दो अथवा अधिक निविदादाताओं की दर समान होने पर निविदादाता की योग्यता, पूर्व कार्य अनुभव तथा उत्कृष्ट गुणवत्ता के परीक्षण के आधार पर योग्य फर्म को कार्यादेश जारी किया जायेगा, जिसमें मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत-अलीगढ़ को निर्णय अन्तिम/मान्य होगा

24. निविदा स्वीकृत होने की दशा में कुल 10 प्रतिशत धनराशि (धरोहर धनराशि सहित) जमानत धनराशि जमा करने पर ही अनुबन्ध आदि की कार्यवाही की जायेगी। निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में यदि किसी परिस्थितियों में निविदा अस्वीकृत/निरस्त की जाती है तो, उसका सम्पूर्ण उत्तर-दायित्व निविदादाता का होगा।

25. प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षाऋतु को शामिल करते हुए कॉलम नं0-07 में वर्णित है।

26. निविदा स्वीकृति के उपरान्त श्रम विभाग में प्रत्येक कार्य एवं नियोजित श्रमिकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

27. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की बिड डालने की दशा में शासनादेश संख्या -622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0-02 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक कम दरें प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर 10 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर एक प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर के अनुसार बिड सिक्योरिटी के अतिरिक्त परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिया जाना अनिवार्य होगा। परफॉर्मेन्स गारन्टी के अतिरिक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। बिडर द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

28. टैक्निकल निविदा एवं फाइनेंशियल निविदा को पृथक-पृथक अपलोड करना होगा।

29. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।

30. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी। एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापिस नहीं ली जा सकती। निविदा वैधता शपथ-पत्र रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य होगा।

31. निविदायें ऑन-लाइन अपलोड की जायेंगी, जिसकी तकनीकि निविदायें उपरोक्तानुसार ऑन-लाइन खोली जायेंगी तथा निविदा प्राप्त अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द होता है तो निविदायें अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय व स्थान पर ऑन-लाइन खोली जायेंगी तथा निविदाओं की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। वित्तीय निविदाओं को खोलने की तिथि एवं समय की सूचना नोटिस बोर्ड/ऑन-लाइन दी जायेगी।

32. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा-सम्बन्धी (First blood relation and there spouse) जैसा कि अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, अवर अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता अथवा मा0 अध्यक्ष/सदस्य जिला पंचायत के पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

33. बिडर को समस्त सूचनाएं/प्रपत्र निश्चित प्रारूप टी0-4, टी0-5 (चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र) प्रत्येक बिड के साथ लगाना अनिवार्य है।

34. कार्य के अन्तिम भुगतान के उपरान्त जिला पंचायत निर्माण नियमावली में दिये गये प्राविधानों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशो के तहत समुचित कार्यवाही करते हुए जमानत वापिसी की कार्यवाही की जायेगी।

35. उ0प्र0 के सरकारी विभाग (सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग) में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने व उसके द्वारा डाली गयी निविदा न्यूनतम/वैध निविदा होने के उपरानत एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत-अलीगढ़ में समस्त अभिलेख उपलब्ध कराते हुए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

36. जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

37. निविदादाता कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।

38. सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप-खनिजों पर रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये जाने विषयक भू-तत्व एवं खनिज कर्म अनुभाग के शा0सं0 115/88-2020-52(सा0)/2019टीसी दिनाक 15 जनवरी, 2020 तथा शा0सं0 641/86-2018-153(सा0)/2017 लखनऊ दिनांक 23 मार्च 2018 एवं समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक बिल भुगतान के पूर्व एम0एम0-11/टी0पी0 प्रपत्र जमा करना होगा।

39. समय-समय पर हस्तान्तरित धनराशि उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। कार्यालय सम्बन्धित समस्त सूचनाये/ जानकारी आपके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर प्रेषित की जायेगी इसके लिए अलग से पत्राचार की आवश्यकता नही होगी।

40. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अलीगढ़ से प्राप्त 60 प्रतिशत धनराशि से प्रथम बिल का भुगतान किया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर शेष 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा जॉच के उपरान्त द्वितीय किस्त के प्राप्त होने पर ही अन्तिम भुगतान किया जायेगा।

अभियंता, जिला पंचायत अलीगढ़।	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अलीगढ़।	अध्यक्ष जिला पंचायत,अलीगढ़।

कार्यालय जिला पंचायत,अलीगढ़।

पत्रांकः 125 / सा0नि0वि0–जि0पं0 / 2026–27 दिनांकः 29/04/2026

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष महोदया जिला पंचायत,अलीगढ़ की सेवा में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अलीगढ़।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग (ग्रामीण), अलीगढ़।
4. अभियंता / वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत अलीगढ़ को इस आशय से कि वे उक्त तिथि को टेण्डर खोलने की कार्यवाही सुनिश्चत करें।
5. लेखाकार, जिला पंचायत, अलीगढ़।
6. जिला पंचायतराज अधिकारी, / उप निदेशक, मण्डी समिति / अधि0अभि0 प्रा0ख0लो.नि0वि0 / प्रा0ख0लो0नि0वि0 खण्ड–1, ग्रा0 अभि0 विभाग, उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, सहायक अभियन्ता लघु सिचाई विभाग, समस्त खण्ड विकास अधिकारी को इस आशय से कि यदि आपके विभाग के किसी कार्य योजना में उक्त कार्य में से कोई कार्य सम्मिलित, प्रस्तावित / निमार्णाधीन तो नहीं है, की सूचना लौटती डाक से भिजवाने का कष्ट करें।
7. सम्पादक दैनिक जागरण / दैनिक अमर उजाला / दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्रों को इस आशय से कि अतिशीघ्र इस विज्ञप्ति को कम से कम स्थान में प्रकाशित कराकर प्रकाशन की तीन प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. कम्प्यूटर ऑपरेटर, जिला पंचायत्त–अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित तिथि को निविदाओं को डालना खोलना सुनिश्चित करें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि यह विज्ञप्ति जनपद अलीगढ़ की शासकीय वेवसाईट www.aligarh.nic.in पर यह विज्ञप्ति अपलोड करने का कष्ट करें।
10. कार्यालय जिला पंचायत–अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत अलीगढ़।

जिला पंचायत, अलीगढ़
ई–निविदा सूचना

जिला पंचायतों, के वर्ष 2026–27 में समस्त पंजीकृत ठेकेदारों एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद निर्माण कार्य नियमावली 1984 की धारा–18 में संशोधन विषयक अधिसूचना संख्या–1425/33–2– 2020–60जी/2000 दिनांक 14 जुलाई, 2020 के अनुपालन में राज्य सरकार के सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, अलीगढ़ द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत श्री संदीप सिंह, मा० राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0/ मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र अतरौली की विधायक निधि कोटे की धनराशि से प्रस्तावित निम्नलिखित निर्माण/विकास कार्यों को कराया जाना है। निम्न कार्यों की ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर दि0 14.05.2026 को समय अपरान्ह 11:00 बजे से दिनांक 21.05.2026 को समय 06:00 बजे तक डाउनलोड/ अपलोड/सबमिट /सम्पूर्ण विवरण देखा व पढ़ा जा सकता है जो दिनांक 22.05.2026 को 11:00 बजे प्राप्त आनलाइन बिड की तकनीकी बिड निविदा समिति के समक्ष प्रत्येक कार्यालय अवधि में खोली जायेगी। तकनीकी बिड वैध होने पर वित्तीय बिड खोला जायेगा। **निविदा शुल्क जिला पंचायत द्वारा संचालित केनरा बैक जिला पंचायत परिसर, अलीगढ़ में जिला निधि के खाता संख्या – 86202200000020, IFSC CODE – CNRB0018620, MICR 202015023 आनलाइन भुगतान करना होगा तथा निविदा शुल्क जमा करने सम्बन्धी ट्रान्जेक्शन नंम्बर/यू0टी0आर0 नम्बर स्कैन कर अपलोड करना होगा। अन्य किसी माध्यम से निविदा शुल्क मान्य नही होगा। प्रत्येक कार्य की निविदा के साथ पृथक–पृथक 2 प्रतिशत धरोहर राशि जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अलीगढ़ के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/ एन0एस0सी0 के रूप में बन्धक कराकर जिनकी स्केन प्रतियॉं निविदा के साथ अपलोड/सबमिट करें एवं समस्त प्रमाण पत्रों के साथ पंजीकरण/नवीनीकरण का नवीनतम प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है।** निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूंल अभिलेख/निविदा शुल्क/अग्रिम धरोहर धनराशि की मूल प्रति व्यक्तिगत रूप से कार्यालय, जिला पंचायत, अलीगढ़ में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निविदा सम्बन्धी अन्य शर्तों एवं अभिलेखों की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय एवं एन0आई0सी0 वेवसाइट www.aligarh.nic.in पर देखी जा सकती है।

अभियंता, जिला पंचायत अलीगढ़।	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अलीगढ़।	अध्यक्ष जिला पंचायत,अलीगढ़।

कार्यालय जिला पंचायत,अलीगढ़।

पत्रांक: 125/सा0नि0वि0–जि0पं0/2026–27 दिनांक: 29/04/2026

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष महोदया जिला पंचायत,अलीगढ़ की सेवा में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अलीगढ़।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग (ग्रामीण), अलीगढ़।
4. अभियंता /वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत अलीगढ़ को इस आशय से कि वे उक्त तिथि को टेण्डर खोलने की कार्यवाही सुनिश्चत करें।
5. लेखाकार, जिला पंचायत, अलीगढ़।
6. जिला पंचायतराज अधिकारी,/उप निदेशक, मण्डी समिति/अधि0अभि0 प्रा0ख0लो.नि0वि0/प्रा0ख0लो0नि0वि0 खण्ड–1, ग्रा0 अभि0 विभाग, उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, सहायक अभियन्ता लघु सिचाई विभाग, समस्त खण्ड विकास अधिकारी को इस आशय से कि यदि आपके विभाग के किसी कार्य योजना में उक्त कार्य में से कोई कार्य सम्मिलित, प्रस्तावित/निमार्णाधीन तो नहीं है, की सूचना लौटती ड़ाक से भिजवाने का कष्ट करें।
7. सम्पादक दैनिक जागरण/दैनिक अमर उजाला/ दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्रों को इस आशय से कि अतिशीघ्र इस विज्ञप्ति को कम से कम स्थान में प्रकाशित कराकर प्रकाशन की तीन प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. कम्प्यूटर ऑपरेटर, जिला पंचायत–अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित तिथि को निविदाओं को डालना खोलना सुनिश्चित करें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि यह विज्ञप्ति जनपद अलीगढ़ की शासकीय वेवसाईट www.aligarh.nic.in पर यह विज्ञप्ति अपलोड करने का कष्ट करें।
10. कार्यालय जिला पंचायत–अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत अलीगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by shyam bahadur sharma
Date: 2026.05.03 19:21:11 IST
Location: Uttar Pradesh-UP